निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये *500/- मात्र

निविदा(टेंडर) कमांक **IIITDMJ**/पीएंडएस/पूछताछ(पृच्छा)/**2015-16/25**
दिनांक: **15.12.2015**

आपूर्तिकर्ता/भंडारक/रसायनज्ञ को सूचीबद्ध करने के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रण

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया जिला जबलपुर-**482005**

*रजिस्ट्रार,पीडीपीएम,आईआईआईटीडीएम, जबलपुर के पक्ष में आहरित जबलपुर में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट द्वारा।

निविदा हेतु आमंत्रण(Invitation for Tender)

विषय : आपूर्तिकर्ता / भंडारक / रसायनज्ञ को सूचीबद्ध करने के लिए निविदा हेतु आमंत्रण सूचना

पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, संस्थान को दवाओं / औषधियों की आपूर्ति करने हेतु आपूर्तिकर्ता / भंडारक / रसायनज्ञ जिन्हें आगे संक्षिप्तता हेतु (Brevity) रसायनज्ञ कहा जाएगा, को सूचीबद्ध (Empanel) करना चाहता है। यह नामिका (Panel), संतोषजनक कार्यप्रदर्शन के अध्यधीन, 2 वर्ष हेतु कार्यरत रहना संभावित है।

संस्थान ऐसे रसायनज्ञों से आवेदन आमंत्रित करता है, जो तकनिकी पात्रता एवं जेनेरिक (Generic) एवं नॉन–जेनेरिक (Non-Generic) दवाओं पर उनके द्वारा प्रस्तावित छूट (Discount) के प्रतिशत के आधार पर, सूचीबद्ध होने में रुचि रखते है। ऐसे रसायनज्ञ, जो पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं एवं इस दस्तावेज में वर्णित अन्य शर्तों एवं निबंधनों से सहमत है, उन्हें परिशिष्ट-1 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया, जबलपुर–482005 को आवेदन भेजना होगा। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन, एक बंद लिफाफे में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित, स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा इस तरह भेजें कि वह दिनांक 07 / 01 / 2016 के दोपहर 3.00 बजे तक अवश्य पहुंच जाएं। संस्थान, बिना कोई कारण बताए, किसी भी आवेदन को स्वीकृत करने या किसी भी या समस्त आवेदनों को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

	निविदा संदर्भ क्रमांक	आपूर्तिकर्ता / भंडारक / रसायनज्ञ को सूचीबद्ध करने हेतु पूछताछ या पृच्छा क्र. IIITDMJ/पीएंडएस / पूछताछ/2015-16/25
1	बोली पूर्व सम्मेलन की तिथि	29.12.2015(03:00 PM)
2	निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि व समय	07.01.2016(03:00 PM)
3	तकनीकी बोली खोले जाने की तिथि व समय	07.01.2016(04:00 PM)
4	स्थान	पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर का परिसर

निविदा प्रपत्र एवं शर्तों एवं निबंधनों की जानकारी संस्थान की वेबसाइट www.iiitdmj.ac.in से भी 15.12.2015 to 07.01.2016 . के बीच डाउनलोड की जा सकती है:

निविदा के साथ, एक अलग बंद लिफाफे में निविदा शुल्क रु. 500/– (रुपये पांच सौ मात्र) (वापसी योग्य नहीं) संलग्न होना चाहिये जो **"PDPM - IIITDM Jabalpur"** के पक्ष में आहरित क्रास्ड् डिमांड ड्राफ्ट के रुप में **जबलपुर में भुगतान योग्य हो।**

1. **अमानत जमा राशि (Earnest Money Deposit):** सूचीबद्धता हेतु रु. 25,000/– (रुपये पच्चीस हजार मात्र) की अमानत जमा राशि डिमांड ड्राफ्ट या सावधि जमा के रुप में निम्नानुसार अलग से प्रस्तुत करना होगी।
2. **निविदा को सील एवं चिन्हित कर भेजना :** तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग अलग निम्नानुसार बंद एवं चिन्हित करनी होगी।
   - i) अमानत जमा राशि एवं निविदा शुल्क एक अलग लिफाफे में सीलबंद करना होगा। (लिफाफा-1) जिसपर लिखा हो **"निविदा क्र. IIITDMJ/पीएंडएस/पूछताछ/2015-16/25 /आपूर्तिकर्ता/भंडारक/रसायनज्ञ को सूचीबद्ध करना हेतु अमानत जमा राशि एवं निविदा शुल्क।"**
   - ii) **तकनीकी बोली (भाग-1)** एक अलग लिफाफे में सीलबंद करना होगा। (लिफाफा-2) जिसपर लिखा हो **" निविदा क्र. IIITDMJ/पीएंडएस/पूछताछ/2015–16/25 आपूर्तिकर्ता/भंडारक/रसायनज्ञ को सूचीबद्ध करना - हेतु तकनीकी बोली (भाग-1) ।"**
   - iii) वित्तीय बोली (भाग-2) एक अलग लिफाफे में सीलबंद करना होगा। (लिफाफा-3) जिसपर लिखा हो **" निविदा क्र.IIITDMJ/पीएंडएस/पूछताछ/2015-16/ 25 / आपूर्तिकर्ता/भंडारक/रसायनज्ञ को सूचीबद्ध करना हेतु वित्तीय बोली (भाग-2) ।"**
   - iv) उक्तानुसार तीन अलग अलग सीलबंद लिफाफे चौथे बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद करें। इनमें से हर एक लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित होना चाहिये।

आपूर्तिकर्ता/भंडारक/रसायनज्ञ को सूचीबद्ध करने के लिए निविदा
पीडीपीएम - आईआईआईटीडीएमजे जबलपुर।
संदर्भ क्र. IIITDMJ/पीएंडएस/पूछताछ/2015-16/ 25 /आपूर्तिकर्ता/
भंडारक/रसायनज्ञ को सूचीबद्ध करना।
दिनांकः–15.12.2015
निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथिः–
रजिस्ट्रार,
पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया, जबलपुर–482005

प्रेषकः
मे...
संपर्क नंबर...
ईमेल आईडी..

....

केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोली खोली जाएगी, जो मूल्यांकन पश्चात् तकनीकी रुप से योग्य पाए जाएंगे। ऐसी बोलियां, जिनके साथ निविदा शुल्क या/और अमानत जमा राशि संलग्न न हो, प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार/निरस्त कर दी जाएगी व इस संबंध में किए गए किसी संप्रेषण(Communication) पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। संस्थान, बिना कोई कारण बताए, किसी भी आवेदन को या समस्त आवेदनों को अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आवेदन करने की प्रक्रियाः

आवेदन निम्नानुसार द्विबोली प्रणाली के, अर्थात् तकनीकी व वित्तीय बोली के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

तकनीकी पात्रता निर्धारित करने वाले दस्तावेज, तकनीकी बोली के साथ लगे होने चाहिये। वित्तीय बोली को तकनीकी बोली के साथ संलग्न नहीं होना चाहिये। ये दस्तावेज हस्ताक्षरित व दस्तावेज के निचले भाग पर सील लगे हुए होना चाहिये एवं पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र के साथ भेजे जाएंगे जिसके साथ सभी विशिष्ट दस्तावेज लगे हों। रसायनज्ञ यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि उसका आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में या उसके पूर्व पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर में पहुंच जाएं। निर्धारित तिथि एवं समय में, किसी भी कारणवश जैसे डाक में देरी अथवा रास्ते में विलंब के कारण, आवेदन प्राप्त न होने पर संस्थान जवाबदार नहीं होगा। **दस्तावेजों को तैयार करने हेतु हुए किसी भी व्यय को, आवेदक द्वारा ही वहन किया जाएगा।**

1. बोलीदाताओं के लिये निर्देशः (Instruction to Bidders)

1. तकनीकी पात्रता :

(ए) आवेदक, आवेदन की तिथि को, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 (Drugs & Cosmetics Act, 1940) के प्रावधानों के तहत, या अन्य प्रचलित विधि के तहत, अंग्रेजी दवाईयों (Allopathic Drugs) की विभिन्न श्रेणियों के लिए, राज्य शासन के औषधि नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी (फार्म 20, 20बी, 21, 21बी व 21सी) वैध अनुज्ञप्ति (Licence) रखता हो। वह औषधियों की सीलिंग या उनसे संबंधित व्यवसाय करने हेतु आवश्यक सभी अनुज्ञप्तियां, अनुमतियां एवं स्वीकृतियां भी रखता हो। सूचीबद्ध रसायनज्ञ को यह सुनिश्चित कर वचनबद्ध होना होगा कि उसके ठेका अनुबंध की अवधि समाप्त होने तक उसके पास रखी सभी अनुज्ञप्तियां वैध हो।

(बी) रसायनज्ञ को राज्य औषधि प्राधिकारी द्वारा दंडित नहीं होना चाहिये एवं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम व नियमों तहत कोई प्रकरण भी लंबित नहीं होना चाहिये।

(सी) रसायनज्ञ का पिछले 3 वर्षों का वार्षिक लेनदेन (Annual Turnover) न्यूनतम 10 लाख रुपये अवश्य होना चाहिये।

(डी) रसायनज्ञ को संस्थान द्वारा जारी आदेशानुसार समस्त औषधियों एवं अन्य उपभोग्य औषधसामग्री की आपूर्ति बिना किसी विशिष्ट ब्रांड या निर्माता के, करने हेतु सहमत होना चाहिये। यहां अन्यत्र दिए गए अनुसार खरीदी अनुबंध के बाद, ऐसा करने में असफल रहने के परिणामस्वरुप कार्यनिष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) की स्वयमेव जब्ति होगी।

(ई) रसायनज्ञ को किसी सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रम संस्था से प्रतिबंधित या ब्लैक लिस्ट में नहीं होना चाहिये।

(एफ) रसायनज्ञ की दुकान/प्रतिष्ठान जबलपुर में स्थित होना चाहिये।

(जी) मूल्य संवर्धित कर चुकौति प्रमाणपत्र (VAT Clearance Certificate), रसायनज्ञ के पास उपलब्ध होना चाहिये।

(एच) रसायनज्ञ के पास कंप्यूटराइज्ड बिलिंग प्रणाली होना चाहिये।

2. निम्न दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाएंगे :

(ए) आवेदन की तिथि को रसायनज्ञ के पास उपलब्ध वैध अनुज्ञप्तियों की उसके द्वारा स्वप्रमाणित प्रतियां।

(बी) राज्य औषधि नियंत्रक से इस आशय का प्रमाणपत्र कि, रसायनज्ञ फर्म को औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम व तत्संबंधी नियमों तथा समय समय पर जारी औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के अंतर्गत दंडित नहीं किया गया है व उसके विरुद्ध ऐसा कोई प्रकरण भी लंबित नहीं है। उपरोक्त प्रमाणपत्र के स्थान पर इस बाबत शपथपत्र भी स्वीकार्य है।

(सी) पिछले 3 वित्त वर्षों के तुलनपत्र (Balance Sheet) की सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रतियां।

(डी) परिशिष्ट-1(Annexure-1) के अनुसार विस्तृत आवेदन पत्र।

(ई) परिशिष्ट-2 के प्रपत्र अनुसार रसायनज्ञ के बैंकर का प्रमाणपत्र।

(एफ) परिशिष्ट-3 के अनुसार वित्तीय बोली।

(जी) विक्रय कर पंजीयन की प्रति।

(एच) मूल्य संवर्धित कर (VAT) पंजीयन की प्रति।

(आई) रसायनज्ञ के पैन नंबर की प्रति।

2. शर्तें एवं निबंधन (Terms & Conditions)

1. कार्य की प्रकृति या विस्तार (Scope of Work):

संस्थान, 01 या अधिक आपूर्तिकर्ता/भंडारक/रसायनज्ञ को उनकी तकनीकी पात्रता एवं **जेनेरिक (Generic) एवं नॉन–जेनेरिक (Non-Generic)** वर्ग की दवाओं हेतु उनके द्वारा प्रस्तावित छूट (Discount) के अधिकतम प्रतिशत के आधार पर, सूचीबद्ध (Empanel) करना चाहता है। सूची की वैधता अवधि के दौरान, संस्थान सूचीबद्ध किए गए किसी भी आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश जारी करेगा। रसायनज्ञ को तदनुसार दिये गये समय में सहमत छूट दरों पर औषधियां/दवाईयां प्रदाय करनी होंगी। कृपया ध्यान दें कि अधिकतम छूट का प्रस्ताव करने वाले रसायनज्ञ से ही आवश्यकतानुसार दवाईयां लेने के लिए संस्थान बाध्य नहीं है। संस्थान, उसकी खरीदी को दो या अधिक रसायनज्ञों के बीच बांटने/विभाजित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। संस्थान, बिना कोई कारण बताए, उसे प्राप्त हुए, किसी भी आवेदन को स्वीकृत करने या किसी भी अथवा समस्त आवेदनों को अस्वीकृत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

2. कीमतें (Pricing) :

जेनेरिक (Generic) एवं नॉन–जेनेरिक (Non-Generic): वर्ग के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की दवाओं/औषधियों यथा – गोलियां, केप्सूल, इंजेक्शनसीरप, मलहम, क्रीम, इंजेक्शन इत्यादि हेतु अधिकतम छूट प्रतिशत की दरें रसायनज्ञ अपनी निविदा में प्रस्तावित (Quote) करेगा। **इस तरह उसे केवल 02 अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर प्रतिशत छूट दरें मुख्यतः प्रस्तावित करनी होगी। एक जेनेरिक (Generic) वर्ग की दवाओं हेतु एवं दूसरी नॉन–जेनेरिक (Non-Generic) वर्ग की दवाओं हेतु। यह भी नोट किया जाए कि कानून के**

अंतर्गत लागू सभी प्रकार के कर, उगाही या शुल्क रसायनज्ञ द्वारा ही देय होगा। संस्थान द्वारा निर्देशित स्थान पर आपूर्ति हेतु लगने वाला व्यय, जैसे उचित रुप से पैकिंग करने या भाड़ा, परिवहन इत्यादि से संबंधित संपूर्ण व्यय रसायनज्ञ द्वारा ही वहन किया जाएगा। संस्थान केवल दवाईयों के लेबल पर लिखे अधिकतम खुदरा मूल्य में से अनुमत छूट की राशि कम करते हुए, भुगतान करेगा। बोली द्वारा प्रस्तावित छूट की दरें, सूचीबद्धता की संपूर्ण अवधि में वैध रहेंगी।

3. **कार्यप्रदर्शन सुरक्षा गारंटी: (Performance Security Guarantee)**

संस्थान में सूचीबद्ध होने में सफल होने के बाद, संस्थान से उपरोक्तानुसार खरीदी अनुबंध निष्पादित करने से पूर्व, रसायनज्ञ को प्रतिभूति के रुप में रु. 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) की अनुसूचित बैंक से जारी 30 माह की अवधि हेतु वैध परफार्मेंस बैंक गारंटी या बैंक ड्राफ्ट जो "आईआईआईटीडीएम जबलपुर" के पक्ष में प्रस्तुत करना होगी। परफार्मेंस बैंक गारंटी अनुबंध की वैधता अवधि से 6 माह आगे तक वैध होना चाहिये। अनुबंध के तहत उसे दी गई मांग (Indent) को पूरा करने के लिए अधिकृत रसायनज्ञ द्वारा दवाईयों की आपूर्ति किए जाने के बाद, यदि यह पाया जाता है कि दवाईयां चोरी की है या निर्धारित गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरती है तो कार्यनिष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त किए जाने योग्य होगी। निम्न स्थितियों में भी कार्यनिष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त किए जाने योग्य होगी यदि अधिकृत रसायनज्ञ :

i) अनुबंध की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहे।

ii) अमानक, नकली या वैकल्पिक दवाओं की आपूर्ति करें।

iii) आपूर्ति में विलंब करें।

iv) बिलों में अधिक राशि लगाएं । (over charge)

4. **अनुबंध की अवधि (Period of Contract) :**

(ए) सूचीबद्धता अनुबंध की अवधि संतोषजनक कार्यप्रदर्शन के अध्यधीन 2 वर्ष होगी।

(बी) वार्षिक खरीदी अनुबंध के सबंध में अनुबंध के तहत पूर्ति आदेश अनुबंध की अंतिम तारीख तक जारी किए जा सकेंगे। अंतिम तारीख को जारी आदेश भी अनुबंध की शर्तों के अनुसार आदरित किए जाएंगे यानि उनके तहत भी आपूर्ति की जाएगी भले ही दवाओं की आपूर्ति की तारीख को, अनुबंध की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी हो।

5. **आवेदनों पर निर्णय का अधिकार (Right to decide Applications) :**

अंतिम तिथि व समय के बाद प्राप्त या किसी भी प्रकार अपूर्ण आवेदन निरस्त किए जाने योग्य होंगे। संस्थान, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी आवेदनों को, पूर्ण या आंशिक रुप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संस्थान, किसी भी समय बिना कोई कारण बताए, सूची (Panel) को समाप्त (Scrap) करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। इस बाबत संस्थान का निर्णय, अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। निदेशक, पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर को अधिकार होगा कि वह इस दस्तावेज के तहत, संस्थान के हित में, अपने विवेकानुसार,

जैसा वह उचित समझे, किसी आवश्यकता को संशोधित या परिवर्तित कर सकता है। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

6. **खरीदी आदेश एवं आपूर्ति को पहुंचाना (Purchase Order & Delivery of Supplies) :**

(ए) संस्थान से, आपूर्ति हेतु आदेश मिलने पर संपूर्ण दवाओं की आपूर्ति, संस्थान के परिसर में संस्थान के कार्य समय में, यथासंभव शीघ्र, पर अधिकतम 03 कार्य दिवस में की जाएगी।

(बी) यदि विशिष्ट प्रकार (Brand) की दवाओं की आपूर्ति हेतु आदेश का प्रकरण हो तो, उस ब्रांड के बदले वैकल्पिक (Substitute) आपूर्ति नहीं की जाएगी। अन्य प्रकरणों में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संस्थान की अनुसूची एम में वर्णित मापदंडों को पूरा करने वाली औषधियों की आपूर्ति की जाएगी।

(सी) आपूर्ति, निर्माता द्वारा की गई मूल पैकिंग में ही की जाएगी। किसी विशिष्ट दवा/औषधि की मांग (Indent) की जाने पर, उसका पैकिंग मांगी गई कुल मात्रा में या उसकी लगभग निकटतम मात्रा में ही हो।

(डी) प्रत्येक दवा के लेबल पर उसके उपयोग किये जाने की अवधि (Shelf-life) दर्ज होती है। आपूर्ति के समय किसी भी दवा की उक्त अवधि आधे से अधिक खत्म न हुई हो।

(ई) रसायनज्ञ को, दवाओं/औषधियों की आपूर्ति संस्थान को करते समय अपने बीजक (Invoice)/बिल पर दवा का बैच नंबर, दवा निर्माता का नाम व दवा के उपयोगकी समाप्ति तिथि (Date of Expiry) अंकित करना होगी।

(एफ) रसायनज्ञ, 30 दिवस का नोटिस दिए बगैर, दवाओं की आपूर्ति करना बंद नहीं करेगा।

7. **बिलों की प्रस्तुति (Presentation of Bills) :**

(ए) आपूर्ति की गई दवाईयों बाबत बिल, रसायनज्ञ संस्थान को प्रस्तुत करेगा। बिल में आपूर्ति बाबत साफ तौर से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जैसे – दवाई का नाम, मात्रा, दर, छूट की राशि, निर्माता का नाम, बैच नंबर, निर्माण की तिथि, उपयोग समाप्ति तिथि (Expiry date), खरीदी आदेश क्रमांक व दिनांक आदि एवं संस्थान द्वारा वांछित अन्य कोई जानकारी।

(बी) बिल के साथ मूल मांगपत्र (Original Indent) एवं संस्थान के औषधालय के प्रभारी अधिकृत अधिकारी से उनके हस्ताक्षर व कार्यालय की सील के साथ मांगपत्र के अनुसार आपूर्ति प्राप्त होने बाबत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(सी) अपूर्ण बिलों पर, जिनके साथ उपरोक्त (ए) एवं (बी) के अनुसार विवरण न हो, ध्यान नहीं दिया जाएगा व कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

8. **भुगतान (Payment) :**

प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान, सामान्यतः उनके प्रस्तुतिकरण की तिथि से 10 कार्य दिवसों में कर दिया जाएगा। हालांकि, किसी कारण बिल के भुगतान में विलंब होने की स्थिति में ब्याज या क्षति हेतु संस्थान पर रसायनज्ञ का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

9. भ्रष्ट, कपटपूर्ण व अनैतिक आचरण (Corrupt, fraudulent or unethical practices) :

रसायनज्ञ द्वारा दवाईयों की आपूर्ति बाबत अनुबंध की प्राप्ति एवं उसके निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानदंडों का पालन किया जाना, संस्थान द्वारा वांछित है। आपूर्ति की जाने वाली दवाईयां/औषधियां उच्च स्तर की होना चाहिये। इस हेतु निम्न शर्तों को निश्चित किया गया है।

(ए) सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया को प्रभावित करने या अनुबंध के निष्पादन हेतु रसायनज्ञ, तथ्यों को छिपाने या भ्रामक तथ्यों की प्रस्तुती नहीं करेगा जिनसे संस्थान को हानि पहुंच सके।

(बी) यदि किसी भी समय, अनुबंध के निष्पादन में रसायनज्ञ, भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण में संलग्न हुआ पाया जाता है, तो संस्थान, ऐसे रसायनज्ञ को अनिश्चितकाल के लिये या किसी निश्चित अवधि के लिये किसी भी अनुबंध हेतु अपात्र घोषित कर देगा।

(सी) किसी रसायनज्ञ द्वारा निम्न कारणों से अनुबंध की शर्तें तोड़ने पर, अन्य उपाय अपनाने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, संस्थान अपने विवेकानुसार, अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रुप से समाप्त कर सकता है।

i) अमानक, नकली या वैकल्पिक दवाओं की आपूर्ति।

ii) आपूर्ति में विलंब/आपूर्ति से इन्कार करना/आपूर्ति न करना।

iii) बिलों में अधिक राशि लगाना।(over charging)

iv) यह पाया जाने पर कि, आपूर्ति की गई किसी विशिष्ट दवा की उपयोग तिथि (Expiry date) समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने वाली है।

v) यदि रसायनज्ञ, अनुबंध के तहत अपना/अपने दायित्व पूर्ण करने में असफल रहे।

vi) संस्थान की राय (Judgement) में, रसायनज्ञ भ्रष्ट व कपटपूर्ण आचरण में लिप्त पाया जाता है।

(डी) यदि भुगतान से पूर्व या उसके पश्चात् की गई जांच में उपरोक्त (सी) में दर्शाए गए अनुसार कोई प्रकरण ध्यान में आता है, तो रसायनज्ञ के लिए आवश्यक होगा कि वह संस्थान को विवादित/अधिक प्रभारित राशि जो उसे संस्थान द्वारा भुगतान की गई हो, वापस करें और प्रश्नगत दवाओं को बदल (Replace) कर दें। संस्थान द्वारा देय भुगतान रोका जा सकता है या रसायनज्ञ को देय राशि में से उक्त आपूर्ति की लागत राशि वसूल की जा सकती है।

10. सबसे अच्छी दरों का प्रयोग (Applicability of Best prices) :

यदि रसायनज्ञ, जिसके साथ संस्थान का वार्षिक खरीदी अनुबंध हो, संस्थान के साथ सहमत दरों के अनुबंध के दौरान, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को, उन्हीं विक्रय शर्तों पर जो संस्थान के साथ अनुबंध की विक्रय शर्तों के समान हो, अधिक छूट का प्रस्ताव करता है या अधिक छूट पर दवाओं का विक्रय करता है या ऐसा विक्रय प्रस्तावित भी करता है, तो संस्थान के साथ अनुबंध में लागू छूट दर भी उसी तिथि से स्वयमेव बढ़

जाएगी जो उस तिथि से अनुबंध के तहत होने वाली सभी आपूर्तियों के लिए लागू होंगी व अनुबंध को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। अन्य समकक्ष ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं, यदि कोई हो, को भी अपनी प्रस्तावित दरों में कमी करने हेतु अवसर दिया जाएगा। उन्हें संशोधित कम की गई विक्रय दरों बाबत सूचित किया जाएगा व 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें यदि वे चाहे तो अपनी कम विक्रय दरों बाबत प्रस्ताव सीलबंद लिफाफों में भेज सके जिसे नियत तिथि व समय पर सार्वजनिक रुप से खोला जाएगा। आगे की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

11. **क्षतिपूर्ति (Indemnity) :**

रसायनज्ञ, उसके द्वारा अनुबंध के निष्पादन या अनुबंध के तहत उसके द्वारा किये गये कार्य या किसी कार्य हेतु वचनबद्ध (Committed) होने के कारण या उससे संस्थान के विरुद्ध उत्पन्न या की गई किसी भी कार्यवाही, मुकदमों, दावों या मांगों से संस्थान को क्षतिमुक्त रखेगा व तदनुसार क्षतिपूर्ति करेगा। साथ ही रसायनज्ञ अनुबंध के निष्पादन के तहत उसके द्वारा किये गये कार्य या किसी कार्य हेतु वचनबद्ध होने के कारण उसके विरुद्ध उत्पन्न या की गई किसी कार्यवाही या मुकदमें, दावे से संस्थान को होने वाली क्षति या हानि की भी क्षतिपूर्ति करेगा।

नोट : किसी भी संदेह/विसंगति की स्थिति में निविदा प्रपत्र का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

परिशिष्ट-1(Annexure-1)

पीडीपीएम- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

दवाईयों/औषधियों की आपूर्ति करने के लिए रसायनज्ञों को सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन पत्र

स. क्र. **S.No.**	विवरण **(Items)**	विस्तृत जानकारी **(Details)**
1.	रसायनज्ञ का नाम	
2.	गठन (कंपनी/साझेदारी फर्म/एकमेव स्वामी	
3.	पंजीयन के विवरण जैसे पंजीयन प्राधिकारी, पंजीयन नंबर एवं तारीख	
4.	व्यवसाय प्रारंभ करने का वर्ष	
5.	विक्रय कर नंबर	
6.	पैन नंबर	
7.	क्या निर्माता है ?/अधिकृत वितरक/व्यवसायी/एजेंसी	
8.	बैंक को आश्वासन देने हेतु अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम व पद एकमेव स्वामी/भागीदार /निदेशक /अधिकारी	
9	टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर ई - मेल	

10.	डाक का पता	
11.	क्या रसायनज्ञ, आवेदन की तिथि को अंग्रेजी दवाईयों के विभिन्न संवर्गों हेतु वैध लाइसेंस रखता है, जो औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत, राज्य के औषधि नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (कृपया लाइसेंस के विवरण दें)	
12.	क्या रसायनज्ञ को राज्य के औषधि नियंत्रक द्वारा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम व उसके तहत बने नियमों या समय समय पर जारी औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत दंडित किया गया है या ऐसा कोई प्रकरण उसके विरुद्ध लंबित है ?	
13.	क्या मूल्य संवर्धन कर चुकौति प्रमाणपत्र (VAT Clearance Certificate) रसायनज्ञ के पास उपलब्ध है ?	
14.	क्या उसकी बिलिंग प्रणाली कंप्यूटराइज्ड है ?	
15.	सबसे अच्छी दरों (Agreement to Best Price norm)के प्रयोग हेतु सहमत है ? (संदर्भ पैरा 10)	

16.	ऐसे सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/बहुत बड़े ग्राहकों के नाम दें जिन्हें रसायनज्ञ द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में दवाईयों की आपूर्ति की गई हो। इनके संपर्क व्यक्ति का नाम व टेलिफोन नंबर भी दें।	
17.	मुख्य बैंकर का नाम, पता व टेलिफोन नंबर दें।	

मैंने, पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर द्वारा दवाईयों एवं औषधियों की आपूर्ति के लिय जारी नोटिस को अच्छी तरह पढ़ व समझ लिया है जिसमें रसायनज्ञों को सूचीबद्ध करने हेतु पात्रता मापदंड व अन्य शर्तों एवं निबंधनों को वर्णित किया गया है। मैं सभी शर्तों एवं निबंधनों को पूर्ण रुप से स्वीकार करता हूँ। मैने समझ लिया है कि संस्थान, किसी भी आवेदन को स्वीकार करने या किसी भी अथवा सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नामः... ....

हस्ताक्षर

पदः..

दिनांकः...

परिशिष्ट-2(Annexure-2)

बैंकर्स का प्रमाणपत्र

प्रति,
रजिस्ट्रार,
पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम
जबलपुर

अनुसूचित बैंक का बैंकर्स प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमारे अधिकतम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, मे. ....जिनका उक्त पता दर्ज है, हमारे बैंक के एक सम्माननीय ग्राहक है, व जिन्हें रु0................................(रुपये............................ ....की सीमा तक अनुबंधित करने के लिये सक्षम माना जा सकता है।
यह प्रमाणपत्र, बैंक अथवा अधिकारियों पर किसी भी उत्तरदायित्व या गारंटी के बिना जारी किया गया है।

बैंक के लिये

....
सील के साथ हस्ताक्षर

दिनांकः.................................

नाम एवं पदः...

बैंक के लिये

नोटः–

1. बैंकर्स का प्रमाणपत्र, बैंक के लेटरहेड पर जारी होना चाहिये व लिफाफे में बंद होना चाहिये जो सूचीकरण प्राधिकारी को संबोधित हो।
2. भागीदारी फर्म के प्रकरण में, बैंकर्स प्रमाणपत्र में बैंक में दर्ज सभी भागीदारों के नाम होने चाहिये।

परिशिष्ट-3(**Annexure-3**)

वित्तीय बोली (**Financial Bid**)

स.क्र. S.No	दवा/औषधि की प्रकृति या प्रकार	प्रस्तावित अधिकतम छूट प्रतिशत
1.	जेनेरिक (**Generic**)	
2.	नॉन–जेनेरिक (**Non-Generic**)	

दिनांक.......................................

....

आपूर्तिकर्ता/भंडारक/रसायनज्ञ के
हस्ताक्षर एवं सील